छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-16

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2017
(चैत्र 2, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. शहीद दिवस का उल्लेख

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय-राजस्व मंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय अध्यक्ष ने शहीद दिवस पर अपने उद्गार व्यक्त किये।

माननीय अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी देशभक्तों को अपनी और पूरे सदन के ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके बलिदान का स्मरण किया।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 एवं 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री नवीन मारकण्डेय अनुपस्थित रहे।

3. सदस्य का निलंबन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर माननीय अध्यक्ष ने श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य को निलंबित किया एवं उन्हें सभा से बाहर जाने का निर्देश दिया।

(निलंबित सदस्य सभा भवन से बाहर गए)

4. प्रश्नकाल (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य के आसन पर बैठे-बैठे बोलने पर माननीय अध्यक्ष ने उन्हें निर्देशित किया कि आप बैठे-बैठे किसी भी प्रकार कमेंट नहीं करें।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 48 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने तत्पश्चात् श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने भी शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लखन देवांगन, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1, दिनांक 23 जनवरी, 2017 द्वारा अधिसूचित, छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016,

(2) श्री लखन देवांगन, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016,

(3) (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2016 माननीय मंत्री की अनुपस्थिति के कारण पटल पर नहीं रखा गया।)

(4) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (अंकेक्षण अवधि वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) छत्तीसगढ़ शासन **पटल पर रखे।**

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने दुर्ग जिलान्तर्गत तहसील पाटन में अवैध शराब विक्रेताओं द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. प्रीतम राम, श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में हाथियों, भालुओं व अन्य जंगली जानवरों का आतंक व्याप्त होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा
(2) श्री अमित अजीत जोगी
(3) श्री अरूण वोरा
(4) श्री टी.एस.सिंहदेव
(5) श्री बघेल लखेश्वर

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. खिलावन साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 08)	श्री भूपेश बघेल	35 मिनट
2. (क्रमांक - 09)	श्री बघेल लखेश्वर	35 मिनट
3. (क्रमांक - 24)	डॉ. प्रीतम राम	40 मिनट
4. (क्रमांक - 16)	श्री शिवरतन शर्मा	40 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) माननीय मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों

को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-82 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी मांग संख्या-33 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री दीपक बैज मांग संख्या-42 पर श्री लालजीत सिंह राठिया मांग संख्या-64 पर श्री धनेन्द्र साहू मांग संख्या-66 पर सर्वश्री धनेन्द्र साहू, मोहन मरकाम मांग संख्या- 68 पर श्री लालजीत सिंह राठिया मांग संख्या-27 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, दीपक बैज, केशव चन्द्रा, श्यामलाल कंवर, चिंतामणी महाराज, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, दलेश्वर साहू एवं मोहन मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

11. निलंबन समाप्ति की धोषणा

माननीय अध्यक्ष ने आसंदी के निर्देशों की बारम्बार अवहेलना के कारण निलंबित सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राय का निलंबन समाप्त करने की घोषणा की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

12. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अमरजीत भगत, देवजी भाई पटेल, कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ. सनम जांगड़े, श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्रवण मरकाम, बृहस्पत सिंह, केशव चन्द्रा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, दीपक बैज, संतराम नेताम, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. खिलावन साहू,

13. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की बजट पुस्तिका क्रमांक 20 में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये ।

14. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री दलेश्वर साहू।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल से संबंधित मांग संख्या 5, तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की।

मांग संख्या 3 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, दलेश्वर साहू, केशव चन्द्रा मांग संख्या 4 पर सर्वश्री धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन मांग संख्या 20 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, दलेश्वर साहू एवं डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

रात्रि 8.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 (चैत्र-3, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा